

# विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग

## कार्यालय-आदेश

झारखण्ड सरकार के आपदा प्रबन्धन विभाग के ज्ञापांक सं०-40/CS दिनांक 01.02.2022 द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) से संबंधित कार्यालय आदेश के आलोक में निम्नांकित निर्देश दिया जाता है -

1. विश्वविद्यालय के मुख्यालय, सभी स्नातकोत्तर विभाग, अंगीभूत महाविद्यालय, स्ववित्तपोषित विभाग एवं सभी सम्बद्ध महाविद्यालय के कार्यालय 100% मानव संसाधन के साथ नियमित कार्यालय अवधि में खुलेंगे।
2. विश्वविद्यालय मुख्यालय एवं स्नातकोत्तर विभाग के कार्यालय 10:30 बजे से 05:30 तक कार्य करेंगे।
3. सभी स्नातकोत्तर विभाग, अंगीभूत महाविद्यालय, स्ववित्तपोषित विभाग एवं सभी सम्बद्ध महाविद्यालय में offline कक्षाएँ, परीक्षाएँ एवं offline Viva अगले आदेश तक जारी रहेंगे।
4. स्नातकोत्तर विभागों एवं महाविद्यालय में offline कक्षाओं में आने से पूर्व शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं को कोविड टीकाकरण का दोनों टीका (COVID-Vaccination) लेना अनिवार्य है।
5. सभी पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों का समय-समय पर COVID टेस्ट किया जाय।
6. COVID-19 को देखते हुए सरकार द्वारा जारी (SOP) Standard Operative Procedure का पालन सुनिश्चित करेंगे जैसे मास्क लगाना, 2 गज की दूरी बनाये रखना और सेनेटाईजर का नियमित प्रयोग करना इत्यादि।
7. Offline कक्षाओं के साथ Digital Content/ Online Education भी जारी रहेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक लागू किया जाता है।

अनुलग्नक : यथाविहित।


कुलपति के आदेशानुसार,  
ह०/-  
कुलसचिव

ज्ञापांक : VBU/Esstt./2112/.....327...../2022

दिनांक : 02.02.2022

प्रतिलिपि-

1. सभी संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, निदेशक (स्ववित्तपोषित विभाग), वि०भा०वि०, हजारीबाग को सूचनार्थ।
2. राज्यपाल के विशेष कार्य पदाधिकारी (न्या०), राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राजभवन, राँची को सूचनार्थ।
3. निदेशक, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार, योजना भवन, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची।
4. सभी प्रधानाचार्य, अंगीभूत/संबद्ध/बी०एड०/संस्कृत/अभियंत्रण/चिकित्सा/दंत चिकित्सा/आयुर्वेद/होमियोपैथी/विधि महाविद्यालय, वि०भा०वि०, हजारीबाग के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. सभी पदाधिकारी, वि०भा०वि०, हजारीबाग को सूचनार्थ।
6. स्थापना शाखा, वि०भा०वि०, हजारीबाग।
7. कुलपति/प्रतिकुलपति/वित्तीय सलाहकार/कुलसचिव के निजी सहायक को कुलपति/प्रतिकुलपति/वित्तीय सलाहकार/कुलसचिव के सूचनार्थ।
8. विश्वविद्यालय वेबसाइट।

  
कुलसचिव  
(43)